


संज्ञा  
कानून

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब	अप्रार्थी
<u>दासीराम पुत्र जवानाराम</u> <u>डडागा</u>	नी म	
राजस्व प्रार्थना-पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत <u>u/s 88 R.T. Act 1955</u>		
प्रार्थना-पत्र नम्बर <u>152 / 2021</u>		GCMS No. <u>2021/838</u>
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
<u>18/11/2021</u>	<p>वकील प्रार्थी श्री <u>दासीराम</u> पुत्र <u>जवानाराम</u> जाति <u>जाट</u> निवासी <u>डडागा</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <u>सरगोठ</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <u>2072-2073</u> ग्राम <u>डडागा</u> पटवार मण्डल <u>सरगोठ</u> के खाता नम्बर <u>65, 122</u> में प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <u>दासीराम पुत्र जवानाराम</u> <sup>127</sup> <u>दासीराम पुत्र जवानाराम</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। प्रार्थी का शुद्ध नाम <u>दासीराम पुत्र जवानाराम</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप प्रार्थी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. <u>008387000078</u> आधार नम्बर <u>556462908501</u> मतदाता पहचान पत्र <u>681/1133321</u> अन्य दस्तावेज <u>11111111-11111111</u> की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <u>सरगोठ</u> भू.अ.नि. <u>जवानाराम</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने प्रार्थी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंशा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)</p> 	<p>159-661</p>